कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांकः 1165/62/आउशि/शा–5'अ'/2022 भोपाल, दिनांक 05/09/2022

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।

2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय– ऑनलाईन ई–प्रवेश प्रक्रिया 2022–23 के विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन के संबंध में निर्देश।

संदर्भ– मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का आदेश कमांक 330/46/सीसी/2022/अड़तीस, दिनांक 21.05.2022

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित आदेश के द्वारा सत्र 2022–23 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्वांत, अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय–सारणी एवं कार्यालयीन आदेशों के द्वारा सी.एल.सी. चरण में प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्देश जारी किये गये हैं ।

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्वांत की कण्डिका 28.4 में अंकित प्रावधान के अनुसार ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय–सीमा में प्रवेशित महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु पात्रता अनुसार संबंधित संकाय/कक्षा/विषय में उपलब्ध सीट रिक्त होने पर परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जा सकेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य मे स्नातक प्रथम वर्ष में आनर्स पाठ्यक्रम की स्वीकृत सीट संख्या को सामान्य पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते हुए प्रवेशित विद्यार्थियों का विषय परिवर्तन कराया जाए।

निर्धारित समय–सीमा में विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रस्तुत आवेदनों पर पात्रता / गुणानुक्रम का उल्लघंन न होने की शर्त पर केवल प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दिनांक 06.09.2022 से दिनांक 21.09.2022 तक ई–प्रवेश प्रक्रिया के ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन किये जा सकेंगे। इस संबंध में महाविद्यालय द्वारा विधिवत सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदनानुसार कार्यवाही की जानी है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का नवीन प्रवेश मान्य नहीं होगा।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

5/9/22

(डॉ0 धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

निरन्तर.....2,